

न्यायालय , भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 101 वर्ष 2024

आवेदक-निर्मल महतो
 ग्राम - सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह
 थाना - पेटरवार जिला-बोकारो

क्रेता- कमलेश महतो
 ग्राम- सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह
 थाना -पेटरवार जिला- बोकारो

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख व साथ। 03														
25.06.2024	आदेश यह वाद आवेदक निर्मल महतो पिता स्व० कुंजू महतो निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:- <table><tr><td>मौजा</td><td>थाना न०</td><td>खाता न०</td><td>प्लॉट न०</td><td>कुल रकबा</td><td>बिक्री रकबा</td><td>भूमि दर्जा</td></tr><tr><td>सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह</td><td>13</td><td>10</td><td>163</td><td>82 डी०</td><td>10 डी०</td><td></td></tr></table> को वे अपनी बेटी के शादी का खर्च अदा करने हेतु मो० 90,000/- (नब्बे हजार) रुपये में क्रेता-कमलेश महतो पिता स्व० बिरबल महतो निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 637 रा०, दिनांक 06.06.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 724 दिनांक 24.06.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:- 01. बिक्रेता एवं क्रेता कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला बोकारो का निवासी है। 02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में मगन महतो वल्द नन्दु महतो के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी बिक्रेता के पिता कुंजू महतो वगैरह के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं० 2/35 पर दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2024 -25 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि केवाला द्वारा हासिल है। 03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हिस्से की है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है। 04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा	सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह	13	10	163	82 डी०	10 डी०		
मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा										
सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह	13	10	163	82 डी०	10 डी०											

प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन बिक्रेता के पिता के नाम खरीदगी जमीन है एवं जमाबन्दी कुंजू महतो वगैरह के नाम से चल रही है बिक्री वाली जमीन उसकी है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- कुंजू महतो वगैरह के नाम केवाला की छायाप्रति, कुंजू महतो वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता का मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला बोकारो निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता का केवाला जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक निर्मल महतो पिता स्व० कुंजू महतो निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला जिला बोकारो :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह	10	163	82 डी०	10 डी०	रास्ता	मिटकु महतो	किस्टु महतो	बलकु महतो

कुल 10 डी० (दस) डीरिमल मात्र।

मो० रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से मो० 90,000/- (नब्बे हजार) रुपये क्रेता- कमलेश महतो पिता स्व० बिरबल महतो निवास ग्राम सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह थाना पेटरवार जिला बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।